भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2892
(18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

2892. श्री मलैयारासन डी.:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है, जिसमें गठित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की संख्या और कुल लाभार्थियों की संख्या शामिल है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में एनआरएलएम के तहत तमिलनाडु को कितना बजट आवंटित किया गया है तथा विभिन्न आजीविका कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए कितनी राशि का उपयोग किया गया है;

(ग) तमिलनाडु में एनआरएलएम के अंतर्गत सहायताप्राप्त आजीविका गतिविधियों के प्रकार क्या हैं, साथ ही कृषि, पशुपालन और सूक्ष्म उद्यम जैसे क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(घ) तमिलनाडु में एनआरएलएम से लाभान्वित हाशिए पर रहने वाले समुदायों की ग्रामीण महिलाओं की संख्या और योजना के तहत उन्हें प्रदान की गई विशिष्ट सेवाएं क्या हैं; और

(ङ) तमिलनाडु में ग्रामीण परिवारों की आजीविका में सुधार करने में, विशेष रूप से महिलाओं की आय में वृद्धि करने में, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण के संदर्भ में एनआरएलएम का क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

क) तमिलनाडु में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति, सहायता प्राप्त स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की संख्या और लाभान्वित कुल परिवारों की संख्या सहित अनुबंध में दिया गया है।

ख) विभिन्न आजीविका कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए पिछले तीन वर्षों में तमिलनाडु को एनआरएलएम के तहत आवंटित और उपयोग की गई निधियां निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**केंद्रीय आवंटन (रुपए लाखों में)**	**उपयोग* (रुपए लाखों में)**
2021-22	38,148.01	54,402.54
2022-23	38,157.33	83,462.14
2023-24	38,157.33	50,961.00

*कुल उपलब्ध निधियों की तुलना में उपयोग में (आरंभिक शेष राशि +केंद्रीय अंश+ राज्य अंश + अन्य प्राप्तियां) शामिल हैं

ग) **कृषि आजीविका घटक के अंतर्गत, एनआरएलएम के तहत निम्नलिखित आजीविका गतिविधियों को समर्थित किया जाता है**

कृषि क्षेत्र	**पशुपालन क्षेत्र**
i. कृषि पोषक उद्यान	i. सीआरपी फार्म को एथनोवेटरिनरी प्रशिक्षण
ii. कृषि उत्पादक समूहों का गठन	ii. एकीकृत कृषि क्लस्टरों का गठन
ii. एकीकृत कृषि क्लस्टरों का गठन	ii. पशुधन उत्पादक समूहों का गठन
iv. प्राकृतिक कृषि क्लस्टरों की स्थापना	iv. बकरी पालन इकाइयों की स्थापना
v. सब्जी फार्म इकाइयों की स्थापना	v. बैक यार्ड पोल्ट्री इकाइयों की स्थापना
vi. मोरिंगा खेती क्लस्टरों की स्थापना	vi. अजोला खेती इकाइयों की स्थापना
vii. जैव इनपुट उत्पादन इकाइयों की स्थापना	vii. मत्स्य पालन इकाइयों की स्थापना
ii. मधुमक्खी पालन इकाइयों की स्थापना	ii. सूअर पालन इकाइयों की स्थापना
ix. टूल बैंकों की स्थापना	ix. चारा खेती इकाइयों की स्थापना
x. मशरूम उत्पादन इकाइयों की स्थापना	x. सजावटी मत्स्य पालन इकाइयों की स्थापना
xi. बाजरा उत्पादन क्लस्टरों की स्थापना	
xii. बीज उत्पादन क्लस्टरों की स्थापना	
ii. गैर-लकड़ी वन उपज के लिए सहायता	

एनआरएलएम के तहत गैर-कृषि आजीविका घटक के अंतर्गत निम्नलिखित आजीविका गतिविधियों को सहायता प्रदान की जाती है

i) अति लघु उद्योग

एनआरएलएम के तहत सूक्ष्म उद्यम गतिविधियों जैसे बाजरा मूल्य संवर्धन, मसाला उत्पाद, फोटोग्राफी, घरेलू उपकरण सेवाएं, वेल्डिंग, चिनाई, मिट्टी के बर्तन, ब्यूटीशियन, सेंट्रिंग, हर्बल नैपकिन, बाजरा स्नैक्स, हैंडलूम सिल्क साड़ियां, आटा चक्की, आरीवर्क, वस्त्र, तेल की दुकान आदि को सहायता प्रदान की जाती है।

ii) वन स्टॉप सुविधा केंद्र के माध्यम से सेवा प्रदान करना

व्यवसाय संबंधी विचार प्रदान करना, उद्यमों का विस्तार करना, व्यवसाय योजना तैयार करना, वित्तीय संबंध आदि।

घ) विशेष रूप से पिछड़े हुए समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए, अब तक तमिलनाडु राज्य में 6,41,230 परिवारों को शामिल करते हुए 81,630 विशेष स्वयं सहायता समूह (बुजुर्ग, दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी), ट्रांसजेंडर (टीजी) और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) बनाए गए है।

81,630 विशिष्ट स्वयं सहायता समूहों में से 40,997 समूह विशिष्ट रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बनाए गए हैं और विशिष्ट समूह के सदस्यों को परिक्रामी निधि के रूप में 18.496 करोड़ रुपये संवितरित किए गए हैं।

3,581 विशेष स्वयं सहायता समूहों अर्थात बुजुर्ग स्वयं सहायता समूहों को 1.00 लाख रुपये प्रति स्वयं सहायता समूह की दर से तथा 4000 व्यक्तिगत रूप से दिव्यांग महिलाओं को 40,000 रुपये प्रति सदस्य की दर से आर्थिक गतिविधियों के लिए 51.81 करोड़ रुपये की आजीविका निधि उपलब्ध कराई गई है।

ड.) एनआरएलएम का प्रभाव ग्रामीण गरीबों/कमजोर लोगों की आजीविका में सुधार लाने में बहुत बड़ा रहा है, क्योंकि इसके तहत उन्हें वृद्धजन स्वयं सहायता समूहों, दिव्यांगजनों, जनजातीय और टीजी में शामिल किया गया है और लगभग 26,750 विशिष्ट स्वयं सहायता समूहों के लिए परिक्रामी निधि का प्रावधान किया गया है, जिससे उनकी कोष निधि में वृद्धि हुई है और 5,442 ईएसएचजी/दिव्यांगजन स्वयं सहायता समूहों को उनके द्वारा किए जाने वाले उद्यमों के प्रावधान के लिए 1.00 लाख रुपये की दर से आजीविका सहायता प्रदान की गई है, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने हैं। ग्राम गरीबी न्यूनीकरण योजना (वीपीआरपी) और पंचायती राज संस्थान-

समुदाय आधारित संगठन (पीआरआई-सीबीओ) परियोजनाओं के माध्यम से महिला संसाधन केंद्रों (जीआरसी) और अन्य महिला संस्थागत तंत्र के माध्यम से एसएचजी महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण संभव हो पाया है।

प्रमाणित बीज उत्पादन क्लस्टर, बाजरा क्लस्टर, इमली क्लस्टर, केला क्लस्टर, नारियल अंकुर उत्पादन, हल्दी क्लस्टर और गैर-वन लकड़ी के उत्पाद क्लस्टर जैसे क्लस्टरों के गठन जैसी कृषि और गैर-कृषि गतिविधियों के माध्यम से किसानों और उत्पादकों के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण, कम इनपुट लागत और बाजार स्थिरता सुनिश्चित करना है। खरीद और एकत्रीकरण को सुव्यवस्थित करके, ये क्लस्टर न केवल स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सशक्त बनाते हैं, बल्कि मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन को भी सुगम बनाते हैं, जिनकी बाजार में ऊंची कीमतें मिलती हैं। गैर-कृषि गतिविधियों में खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, वस्त्र और कृषि आधारित व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यमों को भी बढ़ावा दिया गया है, जिससे उनके आय के स्तर को बढ़ाने में मदद मिली है।

इसके अलावा विपणन पहल के माध्यम से एसएचजी महिलाओं के उत्पादों को विभिन्न विपणन माध्यमों जैसे कि मथि एक्सपीरियंस स्टोर्स, मथिसंधाई.कॉम, अपार्टमेंट बाज़ारों, कॉर्पोरेट बाज़ारों, व्यावसायिक बैठकों, एसएचजी उत्पादों के लिए विशेष ब्रांड - 'मथि' और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मेलों के माध्यम से बेचा जाता है, एसएचजी उत्पादों को व्यापक बाजार पहुंच प्राप्त हुई है, जिससे बिक्री और लाभ में बढ़ोतरी हुई है।

व्यवसाय करने के लिए महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता में निम्न तरीको से सुधार हुआ है (i) समुदाय-आधारित प्रशिक्षण स्कूल (सीएसएस) जैसे कार्यक्रम और सामुदायिक व्यवसायिक प्रशिक्षण ने एसएचजी महिलाओं को सफल व्यवसाय चलाने के लिए तकनीकी, वित्तीय और प्रबंधकीय कौशल से युक्त बनाया है। (ii) स्वयं सहायता समूहों को कम ब्याज दर पर ऋण, प्रारंभिक पूंजी, थोक ऋण, उद्यम वित्त, बैंक संपर्क तथा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अपने उद्यमों को बढ़ाने के लिए वित्तीय आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जाती है। (iii) पैकेजिंग और एर्गोनोमिक सहायता केंद्रों की स्थापना से महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों का मूल्य संवर्धन करने तथा प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने में मदद मिली है।

एनआरएलएम के प्रभाव से महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण हुआ है जिससे स्वयं सहायता समूहों में शामिल महिलाओं को अपनी सीमाओं से परे व्यापार करने के लिए आत्मविश्वास प्राप्त हुआ है। ये समूह व्यवसाय में शामिल जोखिम कारक का विश्लेषण कर सकते हैं और व्यवसाय में सुधार के लिए निर्णय लेने तथा अपनी अंतर्निहित प्रतिभा का उपयोग करने में आश्वस्त होते हैं। क्लस्टर और सामूहिक समूह बनाकर, महिलाएं बातचीत करके बेहतर कीमत पाती है, कम लागत पर कच्चे माल प्राप्त करती हैं, और अपने व्यवसाय को अधिक प्रभावी ढंग से बढ़ा पाती हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संबंध में लोक सभा में दिनांक 18.03.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2892 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित - अनुबंध I

क्र सं.	संकेतक	**संचयी प्रगति (28.02.2025 की स्थिति के अनुसार)**
1.	शामिल किए गए ब्लॉकों की संख्या	388
2.	सहायता प्राप्त करने वाली एसएचजी की संख्या	3,29,039
3.	एसएचजी में शामिल परिवारों की संख्या	37,76,575
4.	स्वयं सहायता समूहों को प्रदान की गई पूंजीगत सहायता (रुपए करोड़ में)	2,735.08
5.	स्वयं सहायता समूहों को संवितरित बैंक ऋण की राशि (रुपए करोड़ में)	86,383.54
6.	कृषि पारिस्थितिक प्रथाओं के तहत समर्थित महिला किसानों की संख्या	21,27,735
7.	कृषि-पोषक उद्यान वाले महिला किसानों की संख्या	9,61,623
8.	स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) के अंतर्गत स्थापित व्यक्तिगत उद्यमों की संख्या	5,485

****